



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 12—अ०प्र०(२अ) / पा०का०लि० / २०१६

दिनांक: ०१ मार्च, २०१६

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं यां०) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्त किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर, स्तम्भ संख्या-०४ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम/अभियन्ता संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्त के पश्चात पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय/स्थान
१	२	३	४
१.	श्री ईश्वर पाल (अ०प्र००००) ८६१०८ / सहारनपुर ३१.०७.२०२०	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला मण्डल, आगरा।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-२), सम्बद्ध निदेशक (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ। (अन्यत्र स्वीकृत पद के विरुद्ध)

- २— उपरोक्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता, स्तर-२, (वै० एवं यां०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्त किया जाता है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं यां०) के पद पर स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
- ३— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक २१-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- ५— उपर्युक्त प्रोन्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- ६— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- ७— उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: १२—अ०प्र०(२अ) / पा०का०लि० / २०१६ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- २— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ३— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्वल/मध्यान्वल/पूर्वान्वल/पश्चिमान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/कर्सो क्लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- ४— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०न्समिशन का०लि०।
- ५— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ६— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ७— उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ८— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोद्ध कुमार शर्मा)
उप सचिव (२अ)